भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2401

सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों के नियमितीकरण की स्थिति

†2401. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने छूट प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि न्यासों को वित्त अधिनियम, 2026, आयकर अधिनियम, 2005 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित किए जाने के लिए उनसे आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमनेस्टी योजना, 2026, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त न्यासों को नियमित करने के लिए एकबारगी अवसर प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि तक इस संबंध में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उक्त आवेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 को 29.06.2026 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें 'एमनेस्टी योजना, 2026' को एक विशेष प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है। इसकी अवधि इसकी अधिसूचना की तारीख से छह महीने की है।

यह उन भविष्य निधि (पीएफ) ट्रस्टों के अनुपालन और छूट की स्थिति के पूर्वव्यापी नियमितीकरण के लिए एक-बारगी अवसर प्रदान करता है, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन जिन्हें सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत औपचारिक छूट प्राप्त नहीं है।

चूंकि यह योजना कार्यान्वयन के शुरुआती चरण में है, इसलिए 'एमनेस्टी, 2026' के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए अंचल, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर विस्तृत प्रारंभिक गतिविधियां शुरू की गई हैं। इन उपायों में पात्र भविष्य निधि ट्रस्टों की पहचान करना, नोडल

अधिकारियों को नामित करना, समर्पित "एमनेस्टी, 2026 सेल" का गठन करना, प्रतिष्ठानों के प्रश्नों के समाधान के लिए समर्पित सहायता केंद्र (टेलीफोन और ई-मेल आधारित) स्थापित करना, हितधारकों के साथ समन्वय में संपर्क और जागरूकता गतिविधियां चलाना तथा एक सुदृढ़ समीक्षा एवं निगरानी तंत्र स्थापित करना शामिल है।
